राज्यपाल के अवर सचिव **Under Secretary to Governor**



राज भवन, रायपुर RAJBHAVAN, RAIPUR

दूरभाष Telephone -

कार्यालय Office: 2331101

निवास Res.

फैक्स Fax

: 2331104

रायपुर, दिनांक 14 / 08 / 2015

प्रति.

कुलपति, छत्तीसगढ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) - 490 009.

विषय :-

छत्तीसगढ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र.—28 में संशोधन बाबत।

सन्दर्भ :--

विश्वविद्यालय पत्र क्र. / छगरवावितविवि / प्रशा. / 2015 / 2039, दिनांक 06.08.2015.

सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें ।

/ 7478 / 2014 / रास / यू. – 5

छत्तीसगढ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 की धारा 39 (2) में निहित प्रावधानानुसार, विश्वविद्यालय में कार्य-परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 30.07.2015 द्वारा अनुमोदित अध्यादेश क्रमांक-28 (Students Unions for Engineering Colleges, Pharmacy Colleges, Polytechnics and University Teaching Department of the University) के Clause No. 20 (viii) (b) Note 2 में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा यथानुरुप अनुमोदन किया गया, जो दिनांक 14.08.2015 से प्रवृत्त होगा ।

उपरोक्तानुसार । संलग्न :-

> माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति छत्तीसगढ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के आदेशानुसार

> > (आर.के. स्वस्तिक राज्यपाल के अवर सचिव

८ छत्तीसगढ

रायपुर, दिनांक

/08/2015

पुष्टा. क्रमांक / प्रतिलिपि:-

कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)-490 009 को सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

> राज्यपाल के अवर सचिव छत्तीसगढ



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

AMMENDMENT PROPOSED IN ORDINANCE NO. 28 – STUDENTS' UNIONS FOR ENGINEERING COLLEGES, PHARMACY COLLEGES, POLYTECHNICS AND UNIVERSITY TEACHING DEPARTMENTS AS PER THE DECISION TAKEN IN THE 43RD EXECUTIVE COUNCIL MEETING HELD ON 30.07.2015

	Sn.
s for lleges, lleges, and aching	Ordinance no. & Description
20(viii) (b) Note (2)	Clause no
The case in which the result, of May June examination, of the semester preceding to current semester has not been declared, academic backlog shall be considered upto the semester for which student has appeared as regular student in Dec. 2013- Jan. 2014 which student has appeared as examination. However, this shall be regular student in DecJan. applicable only for 2014-15 academic session only.	Existing Clause
* 11	Proposed Clause
As the existing clause was "year specific", hence the clause has been modified, deleting the mention of the year.	Justification

माननीय राज्यपाल एवं कुसाविपतिः द्वारा अनुमीवितः

राज्यपाल के अंदर संविध राजभवन, रायपुर

